In case of recruitment by promotion or deputation /absorption grade from which	If a Departmental Promotion Committee exists what is its	Circumstances in which Union Public Services Commission to be
promotion or deputation /absorption to be made	composition	consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation (Including short–term contract):	Not applicable	Consultation with Union Public
Officers under the Central Government or State Government or union territories or Universities or Recognised Research Institutes or Public Sector Undertakings or Semi- Government or Autonomous or Statutory Organisations: (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or		Service Commission is necessary
(ii) with two years regular service in the posts in level-8(Rs.47600-151100/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or		
(iii) three years regular service in the posts in level-7(Rs. 44900 -142400/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and		
(b) possessing the following educational qualifications and experience :		
Essential:		
(I) Masters degree in Bacteriology or Microbiology of recognised University or Institute.		
(II) With three years professional experience in the field of Microbiology in a government recognised Medical Institute or Hospital or public health or Clinical Laboratory.		
Note: Period of deputation (Including short—term contract) including period of deputation (Including short—term contract) in another ex—cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or department of the Central government shall not ordinarily exceeding three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (Including short—term contract) shall be not exceeding fifty-six		
years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. A.11018/50/2005-RR]

PREM NARAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2020

सा.का.नि. 149.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1990 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में डिस्पैच राइडर के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, डिस्पैच राइडर, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2020 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन- मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .—भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **4. निरर्हता** : वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति .—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की ऐसी कोई बात, आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय –समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है|

अनुसूची

पद का	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयन पद या	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए
नाम			स्तर	अचयन पद	आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिस्पैच राइडर	01* (एक) (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900- 63200 रुपये)	अचयन।	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों और अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालैंड,

		त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के
		लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और
		स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी
		उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह
		और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित
		की गई है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और
अर्हताएं	शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या
	नहीं
(7)	(8)
मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं पास सहित मोटर साईकल या ऑटो रिकशा	आयु : नहीं
चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेन्स	अर्हता : हाँ

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो		प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(9)	(10)	(11)
दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रुपये 18000-56900/-) में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों में से प्रोन्नति जिन्होंने तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा
	आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमे	लागू नहीं होता।
निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :	
1. उप प्राचार्य, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता	
कृपलानी अस्पताल – अध्यक्ष;	
2. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती	
सुचेता कृपलानी अस्पताल – सदस्य;	
3. उप निदेशक (प्रशासन), लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती	
सुचेता कृपलानी अस्पताल – सदस्य;	
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित	
सम्मिलित होंगे :	
1. उप प्राचार्य, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता	
कृपलानी अस्पताल – अध्यक्ष;	
2. अपर चिकित्सा, अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती	
सुचेता कृपलानी अस्पताल – सदस्य;	
3. उप निदेशक (प्रशासन), लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती	
सुचेता कृपलानी अस्पताल – सदस्य;	

[फा. सं. ए.11018/21/2016-एमएच-II] प्रेम नारायण, अवर सचिव

New Delhi, the 8th October, 2020

- **G.S.R. 149**.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kripalani Hospital, New Delhi (Group 'C' post) Recruitment Rules, 1990, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Despatch rider in Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi namely:-
- **1. Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kripalani Hospital, New Delhi, Despatch Rider (Group 'C' Post), Recruitment Rules, 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification.—No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Despatch Rider	1(One)* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non Gazetted, Non Ministerial		Non selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Relaxable for government servants upto the age of forty years in case of general candidates and upto forty-five years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by Central Government). Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam , Meghalaya ,Arunachal Pradesh , Mizoram , Manipur , Nagaland , Tripura , Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	12 th pass from a recognised Board with valid driving license for motor cycle or autorikshaw.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	, , ,	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Age-No.	Two years	By promotion failing which by direct recruitment
Qualification-yes		

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion from Group 'C' employees in Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital with three years regular service in the Level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900)	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: (1) Vice Principal, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital -Chairman; (2)Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College -Member; (3) Deputy Director (Administration), Lady Hardinge Medical College -Member.	Not applicable.
	Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of:	
	(1) Vice Principal, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital -Chairman;	
	(2) Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College -Member;	
	(3) Deputy Director (Administration), Lady Hardinge Medical College -Member.	F N A 11010/01/0016 NIL I

[F. No. A.11018/21/2016-MH-II] PREM NARAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2020

सा.का.नि. 150.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विलिंगडॉन हॉस्पिटल और नर्सिंग होम (श्रेणी IV) भर्ती नियम, 1973 को, जहां तक उनका संबंध थिएटर अर्दली के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में ऑपरेशन थिएटर परिचर के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, ऑपरेशन थिएटर परिचर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2020 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।